क्रम-संख्या—117

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०-4

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 5 मार्च, 1980

फाल्गुन 15, 1901 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग—1

संख्या 573/सत्रह-वि—1-104-1979

लखनऊ, 5 मार्च, 1980

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1980 पर दिनांक 4 मार्च, 1980 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 1980 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 1980

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 1980]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1972 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के इकतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 1980 कहा जायगा। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

(2) यह 28 सितम्बर, 1979 को प्रवृत्त समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19 सन् 1972 की धारा 5 का संशोधन ।

2—उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1972 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 5 में, उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी और सदैव से रखी गयी समझी जायगी, अर्थात्:—

"(3) कोई व्यक्ति जिसे उपधारा (2) के खंड (ख) या खंड (ग) या खंड (घ) में निर्दिष्ट कोई अनुज्ञा-पत्र स्वीकृत किया गया है, तेंदू पत्ते के प्रति मानक थैले पर तीन रुपये की दर से, विहित रीति से, कर का देनदार होगा ।"

धारा 18 का संशोधन ।

3—मूल अधिनियम की धारा 18 में उपधारा (2) में, खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जायगा और सदैव से रखा गया समझा जायगा, अर्थात्—

"(घ) प्राधिकारी जिसके द्वारा, रीति जिसके अनुसार, और शर्तें जिन पर धारा 5 के अधीन अनुज्ञा-पत्र जारी किये जा सकते हैं और रीति जिसके अनुसार धारा 5 की उपधारा (3) के अधीन कर का भुगतान किया जायगा या उसे वसूल किया जायगा;"

वैधीकरण

4—(1) किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, मूल अधिनियम (जैसा कि वह इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व विद्यमान था) के अधीन कृत या किया गया तात्पर्यित कोई कार्य और कृत या की गयी तात्पर्यित कोई कार्यवाही (जिसके अन्तर्गत दिया गया कोई आदेश, की गयी कार्यवाहियां, प्रयुक्त अधिकारिता भी है) इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी और सदैव से इसी प्रकार कृत समझी जायगी और इस प्रकार विधिमान्य और विधिपूर्वक कृत समझी जायगी और सदा से विधिमान्य और विधिपूर्वक कृत समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।

(2) उपधारा (1) में निहित उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मूल अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियम या अधिसूचनाओं के अधीन अनुज्ञा-पत्रों के लिए उद्ग्रहीत या संग्रहीत, या उद्ग्रहण या संग्रह की गयी तात्पर्यित, फीस, इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन विधि के अनुसार, कर के रूप में विधिमान्यतः उद्ग्रहीत या संग्रहीत समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे, और तदनुसार—

(क) मूल अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों या जारी की गयी अधिसूचनाओं के उपबन्धों के अधीन भुगतान की गयी या भुगतान की गयी तात्पर्यित किसी फीस को वापस करने के लिये किसी न्यायालय म कोई वाद या अन्य कार्यवाही न तो की जायेगी और न जारी रखी जायगी;

(ख) कोई न्यायालय या प्राधिकारी उक्त अधिनियम, नियमों या अधिसूचनाओं के अधीन भुगतान की गयी या भुगतान की गयी तात्पर्यित किसी फीस की वापसी के लिये किसी डिक्री या आदेश का निष्पादन नहीं करेगा ।

निरसन और अपवाद ।

5—(1) उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, 1979 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

उत्तर अध्या संख्या सन् 1

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी—

(क) उक्त अध्यादेश की धारा 5 के अधीन पुनर्विलोकन के लिये दाखिल किया गया और इस अधिनियम के सरकारी गजट में प्रकाशन के दिनांक को विचाराधीन प्रत्येक आवेदन-पत्र का निस्तारण उक्त धारा के अनुसार किया जायगा मानो उक्त अध्यादेश के उपबन्ध प्रवृत्त बने हों; और

(ख) उक्त अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।

आज्ञा से,
रमेश चन्द्र देव शर्मा,
सचिव ।

No. 573/XVII-V-1—104-1979

Dated Lucknow, March 5, 1980

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Tendu Patta (Vyapar Viniyaman) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1980 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 5 of 1980), as passed by the Uttar Pradesh Legislature and as sented to by the President on March 4, 1980 :

THE UTTAR PRADESH TENDU PATTA (VYAPAR VINIYAMAN) (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 1980

[U.P. ACT NO. 5 OF 1980]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Tendu Patta (Vyapar Viniyaman) Adhiniyam, 1972

IT IS HEREBY enacted in the Thirty-first Year of the Republic of India as follows:—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Tendu Patta (Vyapar Viniyaman) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1980.

(2) It shall be deemed to have come into force on September 28, 1979.

Amendment of section 5 of U.P. Act 19 of 1972.

2. In section 5 of the Uttar Pradesh Tendu Patta (Vyapar Viniyaman) Adhiniyam, 1972, hereinafter referred to as the principal Act, *for* sub-section (3), the following sub-section shall be *substituted* and be deemed always to have been *substituted*, namely:—

"(3) A person to whom a permit referred to in clause (*b*) or clause (*c*) or clause (*d*) of sub-section (2) is granted shall be liable to pay, in the manner prescribed, a tax at the rate of three rupees per standard bag of tendu leaves."

Amendment of section 18.

3. In section 18 of the principal Act, in sub-section (2), *for* clause (*d*), the following clause shall be *substituted* and be deemed always to have been *substituted*, namely:—

"(*d*) the authority by whom, the manner in which, and the conditions subject to which, permits may be issued under section 5 and the manner in which tax under sub-section (3) of section 5 shall be paid or realised;"

Validation.

4. (1) Notwithstanding anything contained in any judgment, decree or order of any court to the contrary, anything done or purporting to have been done and any action taken or purporting to have been taken (including any order made, proceedings taken, jurisdiction exercised) under the principal Act, as it existed immediately before the commencement of this Act, shall be deemed to be and always to have been done or taken under the principal Act as amended by this Act and to be and always to have been as valid and lawfully done or taken as if the provisions of this Act were in force at all material times.

(2) Without prejudice to the generality of the provisions contained in sub-section (1), fees for permits levied or collected or purported to have been levied or collected under the principal Act, rules or notifications thereunder shall be deemed to have been validly levied or collected as tax in accordance with law under the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times, and accordingly—

(*a*) no suit or other proceeding shall be maintained or continued in any court for the refund of any fees paid or purported to have been paid under the provisions of the principal Act or rules made or notifications issued thereunder ;

(*b*) no court or authority shall enforce a decree or order directing refund of any fee paid or purported to have been paid under the said Act, rules or notifications.

Repeal and savings.

5. (1) The Uttar Pradesh Tendu Patta (Vyapar Viniyaman) (Sanshodhan) Adhyadesh, 1979, is hereby repealed. U. P. Ordinance no. 2 1979.

(2) Notwithstanding such repeal—

(*a*) every application for review filed under section 5 of the said Adhyadesh and pending on the date of publication of this Act in the official *Gazette* shall be disposed of in accordance with the said section as if the provisions of the said Adhyadesh continue to be in force; and

(*b*) anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the said Adhyadesh shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
R. C. DEO SHARMA,
Sachiv.

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 324 सा० (विधा०)—5-3-80—( )—1980—700 (मेक०)।